''औरतों से बहुत ज़्यादा भलाइयाँ करो।''

(इमाम जाफर सादिक़ अ0)

इतिहास और इस्लाम में औरत की हैसियत

हुज्जतुल इस्लाम प्रो0 हुसैन अन्सारियान
अनुवादक : मु0 र0 आबिद

(पिछले शुमारे से आगे)

इस्लाम का जवाब

इस्लाम अल्लाह का मज़हब और विधान है। इस्लाम प्रकृति (Nature) का शब्दकोष है। इस्लाम इन्सान और मानवता के तालमेल का नाम है। इस्लाम का सिस्टम और उसके क़ानून उस महान प्रभु अल्लाह की ओर से हैं जिसने इन्सान को पैदा किया है। वह जानता है कि इन्सान क्या है और कौन है, वह बाहर से क्या है और अन्दर से क्या है। इसलिए उसने उसके हालात और हैसियत के आधार पर क़ानून बनाये हैं।

इतिहास की वे दस बातें जो उपर बतायी गयी हैं और जो एक सभ्यता (Civilization) बन चुकी हैं, उनके बारे में इस्लाम का कहना है:–

1– औरत का जन्म और उसका होना बिलकुल मर्द की तरह है। उसको ख़ुदा ने मतलब से पैदा किया है और वह पूरी तरह 100% मानवता रखने वाली है:

''सच यह है कि हमने इन्सान को सबसे अच्छे केंडे (ढंग, बनावट) में पैदा किया।''

(सूरा 'तीन' आयत–4)

''(यह भी) अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को पैदा किया, बेशक वह उसे जानता है जो तुम करते हो।''

(सूरा 'नमल' आयत–88)

''उसने हर चीज़ बहुत अच्छी बनायी।''

(सूरा 'सजदा' आयत–7)

2– औरत को ख़ुदा की ओर से इन्सानी रूह ही दी गयी। उसकी ओर से जो रूह पड़ी है और जिस रूह से उसे ख़ास किया गया वह मर्द की रूह से अलग नहीं बल्कि उसी की तरह है। औरत की असलियत मर्द की असलियत जैसी है।

''ऐ लोगो तुम अपने उस पालने वाले से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका वर/जोड़ बनाया (जोड़ा बनाया), उन दोनों (जोड़ों) से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं।'' (सूरा 'निसा' आयत–1)

''उसकी निशानियों में यह भी है कि उसने तुम्हारे जोड़े तुम्हारी प्रजाति में से बनाए ताकि तुम उनके साथ रहकर चैन करो।''

(सूरा 'रूम' आयत–21)

तफ़सीर 'अयाशी' में इमाम मुहम्मद बाक़िर (अ0) का यह कहना लिखा है कि ख़ुदा ने हज़रत

'हव्वा' को हज़रत आदम (अ0) की बची मिट्टी से पैदा किया।

ऐसी आयतों से साबित होता है कि औरत के जन्म में किसी तरह की कमी नहीं है। उसकी रूह वही है जो ख़ुदा की ओर से फूँकी गई है, वह हर तरह से पूरी पक्की पोढ़ी है और बेहतरीन है। वह अपनी सलाहियत, प्रकृति, रूह और अक़्ल से ख़ुदाई हिदायत (सन्मार्ग) के साये में रूहानी ऊँचाइयों पर पहुँच सकती है। वहीं वह इन सच्चाईयों से दूर होकर नीच से नीच बन सकती है।

3– उसे मालिक होने (स्वामित्व) का हक़ मिला हुआ है। अच्छे कामों का जो बदला सवाब मिलता है वह उसी का हक़ है। मालिक होने और इस्तेमाल करने में वह मर्द जैसी है।

'इन्सान के लिए बस उतना ही है जितना उससे सध सके' (सूरा 'नज्म' आयत–39)

शक नहीं, इन्सान अपनी दौड़–धूप, अपने जतन और काम का मालिक है।

'तुम मर्दों के लिए यह जायज़ नहीं कि जो महर दे चुके हो उससे कुछ ले लो।'

(सूरा 'बक़र' आयत–229)

इमाम जाफ़र सादिक़ (अ0) का कहना है: 'चोर तीन हैं: ज़कात देने में कन्जूसी करने वाला, बीवी का महेर खाने को हलाल (जायज़) समझने वाला और न देने के मन से उधार लेने वाला। (बिहारुल अनवार भाग–1 पे–349)

'तुममें से जो मर्द मर जाएँ और उनकी बीवियाँ जीती रहें उन्हें वसियत करना चाहिए कि एक साल तक उनका ख़र्चा दिया जाए और उन्हें पति के घर से न निकाला जाय।

पति के मरने के बाद और तलाक़ के बाद महेर और वसियत के अलावा मर्दों से उनके खर्चे पूरे करने को भी कहा गया है:

'जिन औरतों को तलाक़ दे दी गई है उनके लिए एक मुनासिब तोहफा यह है कि जो मर्दों की ओर से दिया जाता है। यह मुत्तक़ियों (संयमियों) पर एक हक़ है।

4– औरत को माँ–बाप पति और बेटों की मीरास (उत्तराधिकारिता) मिलती है।

'तुम लोगों पर लिखा गया (वाजिब किया गया) है कि जब तुम में किसी के सर पर मौत आ जाए और अपने बाद कुछ माल छोड़े तो उसे चाहिए कि अपने माँ–बाप और क़रीबी रिश्ते दारों (परिजनों) से अच्छी वसियत कर दे, यह मुत्तक़ियों पर एक हक़ है। (क़ुर्आन मजीद)

यह आयत उन गलत रीतिरिवाजों के ख़िलाफ जंग का एलाना है जिनमें औरतों बच्चों को हक़ से दूर रखा जाता था। ज़्यादती की यह रस्म अरबों से जुड़ी हुई थी। इस आयत ने इस रस्म को तोड़ा।

'मर्दों का उस माल में हिस्सा है जो माँ–बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ते हैं। औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो माँ–बाप और परिजन छोड़ते हैं चाहे वह माल कम हो या ज़्यादा। यह हिस्सा भाग्य और फर्ज़ ठहराया हुआ है। (क़ुर्आन मजीद)

(जारी)